



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 117] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 2, 2019/चैत्र 12, 1941
No. 117] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 2, 2019/CHAITRA 12, 1941

कर्मचारी राज्य बीमा निगम अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 मार्च, 2019

सं. एन-15/14/7/2017-यो.एवं.वि.—कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम, 1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 मार्च, 2019 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95 क तथा गुजरात कर्मचारी राज्य बीमा नियम, 1964 में निर्दिष्ट विकित्सा हितलाभ गुजरात राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमाकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जाएंगे, अर्थात्:-

“गुजरात राज्य के वडोदरा जिले की संपूर्ण सीमाओं में, जहाँ क.रा.बी. अधिनियम के उपबंध पहले ही लागू हैं, के अतिरिक्त भी प्रवृत्त होंगे।”

एस. रविचन्द्रन, अपर आयुक्त (यो. एवं वि.)
[विज्ञापन-III/4/असा./03/19]

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION NOTIFICATION

New Delhi, the 14th March, 2019

No. N-15/14/7/2017-P&D.—In pursuance of powers conferred by Section 46 (2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' States Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1 March, 2019 as the date from which the medical benefit as laid down in the said Regulation 95-A and the Gujarat Employees' States Insurance (Medical Benefit) Rules, 1964 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Gujarat, namely:—

“The areas comprising within the limits of Vadodara District, in Gujarat State excluding the areas where the provisions of ESI Act have already been brought into force.”

S. RAVICHANDRAN, Addl. Commissioner (P&D)
[ADVT.-III/4/Ety./03/19]